अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या 01/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील )

1. रामजीलाल पुत्र श्री गोवर्धन लाल निवासी तेजाजी मन्दिर के पीछे, ग्राम सायपुरा, रामगढ रोड, जयपुर हाल निवासी ग्राम खरड, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक ।
2. पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
3. श्रीमती कावेरी देवी पत्नी श्री पवन कुमार शर्मा
   निवासी तेजाजी के मन्दिर के पीछे, ग्राम सायपुरा, रामगढ रोड, जयपुर ग्रामीण ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 12.02.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी रामजीलाल बनाम पवन कुमार व अन्य।

उपस्थितः–
1. अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 15.07.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के प्रकरण संख्या 01/2023 ब उनवानी रामजीलाल बनाम पवन कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की । नोटिस तामील होने के उपरान्त भी प्रत्यर्थी संख्या 3 उपस्थित नहीं है, उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा शारीरिक व मानसिक शोषण करने व खर्चा नहीं देने व समाजिक छवी खराब करने व अपीलार्थी को बेघर करने के कारण अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को घर से बेदखल कर सम्पत्ति का कब्जा दिलाने जाने की मांग अपनी याचिका मे की गई थी, परन्तु अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी की उक्त मांग को स्वीकार नहीं कर अपीलार्थी को जबरदस्ती विपक्षी के साथ रहने हेतु मजबूर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 18.11.2023 को मारपीट कर घर से निकाल दिया जब से ही अपने गांव में निवास कर रहा है। अपीलार्थी को स्व अर्जित उक्त सम्पत्ति में रहने दिया जावे । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से खर्चे की मांग की थी, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आलौच्य आदेश में 1000/–रूपये महिना देने का आदेश दिया है इस कारण भी उक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने भी भी अपने न्यायिक दृष्टान्तों में बुजुर्गो की स्व अर्जित सम्पत्ति का संरक्षण करते हुये उन्हें स्व अर्जित सम्पत्ति का मालिक माना है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने आदेश में उक्त विधि का विचार किये बगैर ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित उक्त आलौच्य आदेश की पालना भी की जाती है तो प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के साथ अनहोनी घटना कारित की जा सकती है जिसका पूर्ण अंदेशा है । अतः आलौच्य आदेश दिनांक 12.02.2024 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को उनके निवास हेतु उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को निष्कासित कर उक्त सम्पत्ति से बेदखल कर पाबन्द किया जावे कि अपीलार्थी के रहन–सहन व निवास आदि में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी राजकीय सेवा निवृत्त कर्मचारी है जिसे पर्याप्त मात्रा में पेशंन राशि प्राप्ति होती है। अतः भरण पोषण राशि दिलाया जाना उचित नही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आगे कथन किया कि मैं अपने मृत पिता का सम्मान करता हूं, किन्तु मेरी पत्नी अपीलार्थी संख्या 3 मेरे पिता के साथ अक्सर लडाई झगडा करती है जिसमें मेरी सहमति नहीं होती है। मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ नहीं रह सकती है, वह कभी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकती है। मैं मेरी पत्नी के साथ अन्यत्र रहने के लिए तैयार हूं ।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी राजकीय सेवा निवृत्त कर्मचारी है जिसे बतौर भरण पोषण पर्याप्त मात्रा में पेशन राशि मिलती है। अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति गणपति नगर तेजाजी मन्दिर के पीछे, ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत बने नियमों में माता–पिता के जीवन एवं उसकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्रावधान दिये गये है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण

जिला मजिस्ट्रेट
(अजमेर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " माता–पिता एवं वरिष्ठ नगरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। अन्तरण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी संख्या एक के स्वामित्व की सम्पत्ति गणपति नगर, तेजाजी मन्दिर के पीछे, ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ से प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 3 को बेदखल किये जाने का आदेश अधीनस्थ अधिकरण को दिया जाता है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( प्रकाश राजपुरोहित )
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner